

K. J. P. S. ...
1367
31/11/88
12/10/88
31/11/88

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प. 3/2/नविआ/3/88

जयपुर, दिनांक 22.10.88

सचिव,
नगर विकास न्यास,
कोटा।

विषय :- कोटा में कोटा छुला विविद्यालय हेतु भूमि आवंटन।

महोदय,

निदेशानुसारलेख है कि कोटा छुला विविद्यालय, राक्तभाटा रोड योजना में 75 एकड़ भूमि रुपये 1/- प्रतिवर्ग गज की दर से आवंटित किये जाने की राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

श.पी. श्रीवास्तव
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. कुल सचिव, कोटा छुला विविद्यालय, कोटा।
2. शिक्षा [ग्रुप-4] विभाग को उनकी पत्रावली संख्या प. 3/39/शिक्षा-4/87 के संदर्भ में उनकी उपरोक्त पत्रावली संलग्न की जाती है।
3. सहायकी अधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।

शासन उप सचिव

नगर विकास न्याय, कोटा

क्रमांक: 569/उपनगर/88

दिनांक: 12/8/88

श्रीमान् सचिव नगर विकास,
कोटा नगर विकास विभाग,
कोटा

विषय: - लुले विधायक विधानलय हेतु भूमि उपलब्ध
कराने हेतु।

विशेषांतर निवेदन हेतु रावतभाटा रोड
के उपर इन्फो विद्यार्थी कॉलेज के सामने ग्राम भिषपुरा की खण्डों
109/117, 110, 111 का 50 एकड़ भूमि जो कि लुला विधायक विधानलय
हेतु प्रस्तावित की गई है, सांगण मानचित्र में विप्लव की सीमा ही ई
सफ, जो स्व से विप्लव कर दी गई है तथा ग्राम भिषपुरा की खण्डों
110 का 23 एकड़ भूमि जो लुला विधायक विधानलय हेतु आरक्षण सदा
गई है, विप्लव कर दी गई है जो विप्लव कर दी गई है। विप्लव
नियमों के आधार पर मानचित्र को दो प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

Ad.
K/16/8

कृपया मामले पर पथार कर/जिरी को निष्पादन
कब्जा प्राप्त करने का कदम लें। (75 एकड़ भूमि)

4/11/88
सहस्रीलदार
सहस्रीलदार (पुनर्वास)
नगर विकास न्याय, कोटा

क्रमांक:

दिनांक:

प्रति/विषय: - श्रीमान् सचिव नगर विकास, कोटा को
सूचना हेतु प्रस्तुत है।

sd/
सहस्रीलदार,
नगर विकास न्याय, कोटा

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

क्रमांक: प2/वमखुवि/कुस/2002/1316

दिनांक: 30/11/2002

कार्यालय आदेश

राजस्थान विधान सभा के अधिनियम संख्या-13 वर्ष 2002 पर राज्यपाल महोदय की दिनांक 19 सितम्बर, 2002 की अनुमति के उपरान्त, कोटा खुला विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन कर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (YARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY) किया जाता है।


उक्त आशय की सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राजस्थान राज्य के राजपत्र में दिनांक 21/9/2002 को किया गया है।





समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये जाते हैं कि तुरन्त प्रभाव से समस्त कार्यों में विश्वविद्यालय के नवीन नाम का प्रयोग आवश्यक रूप से करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

समस्त विभागाध्यक्ष, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा !




कुलसचिव


कुलसचिव



FACULTY

FACULTY



KOTA RAWATBHATA ROAD

MAIN ENTRANCE